

विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) पुनर्गठन 2026

दिशा-निर्देश, संरचना एवं कार्यप्रणाली



बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और सहभागी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की पहल।

SMC: शिक्षा और समाज के मध्य एक सशक्त सेतु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020)
के अनुरूप विकेन्द्रीकृत प्रशासन।

RTE Act 2009 के तहत बाल अधिकारों
की सुरक्षा एवं समावेशी शिक्षा।



पारदर्शिता, सामाजिक सहभागिता और
विद्यालय का उत्तरदायी संचालन।

समिति की संरचना: 15 सदस्यीय सशक्त टीम

अभिभावक सदस्य (11)

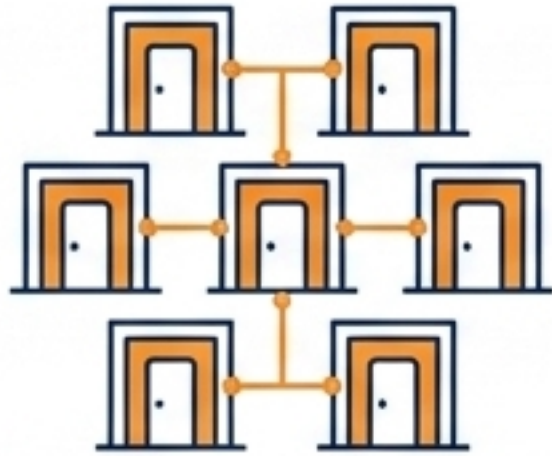
विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक।

अन्य सदस्य (04)

1. स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य
2. एक ए०एन०एम०
3. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक लेखपाल
4. प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक (पदेन सदस्य सचिव)

कार्यकाल: गठन की तिथि से 2 वर्ष।

अभिभावक प्रतिनिधित्व: चयन के अनिवार्य नियम



कक्षा प्रतिनिधित्व

प्रत्येक कक्षा का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।



महिला आरक्षण

कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ होंगी।



सामाजिक समावेश

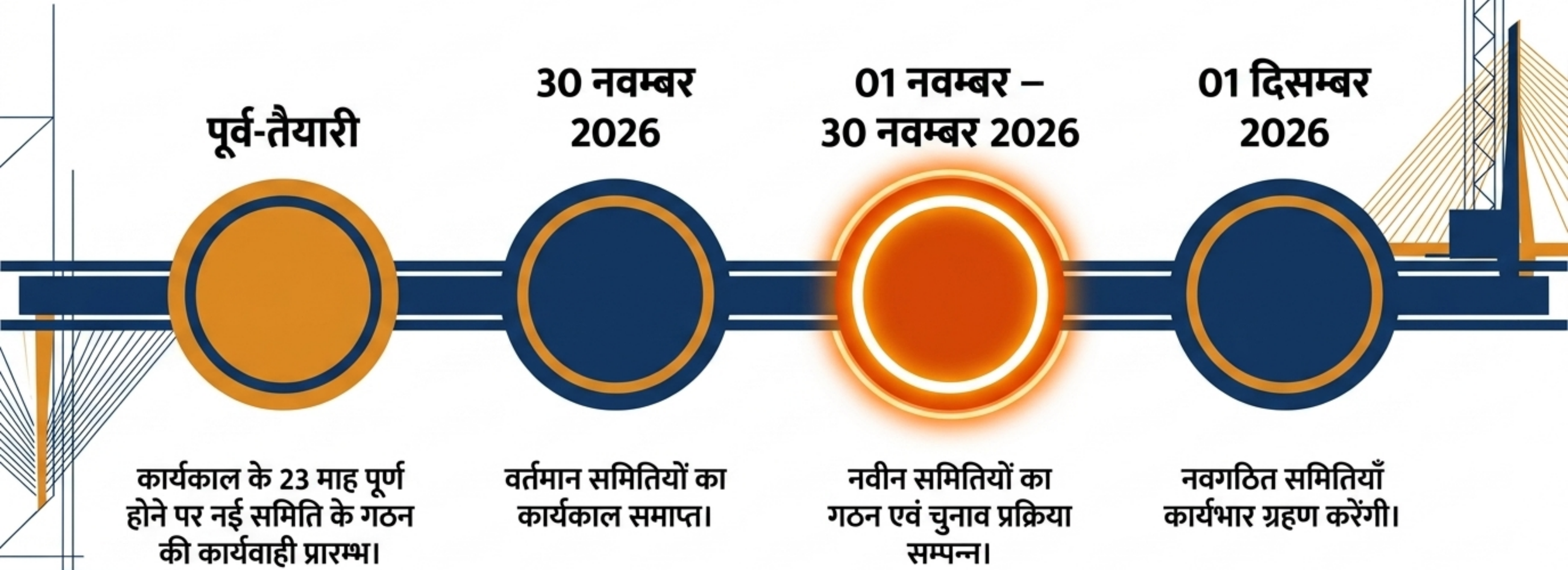
SC, ST, OBC एवं कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा।



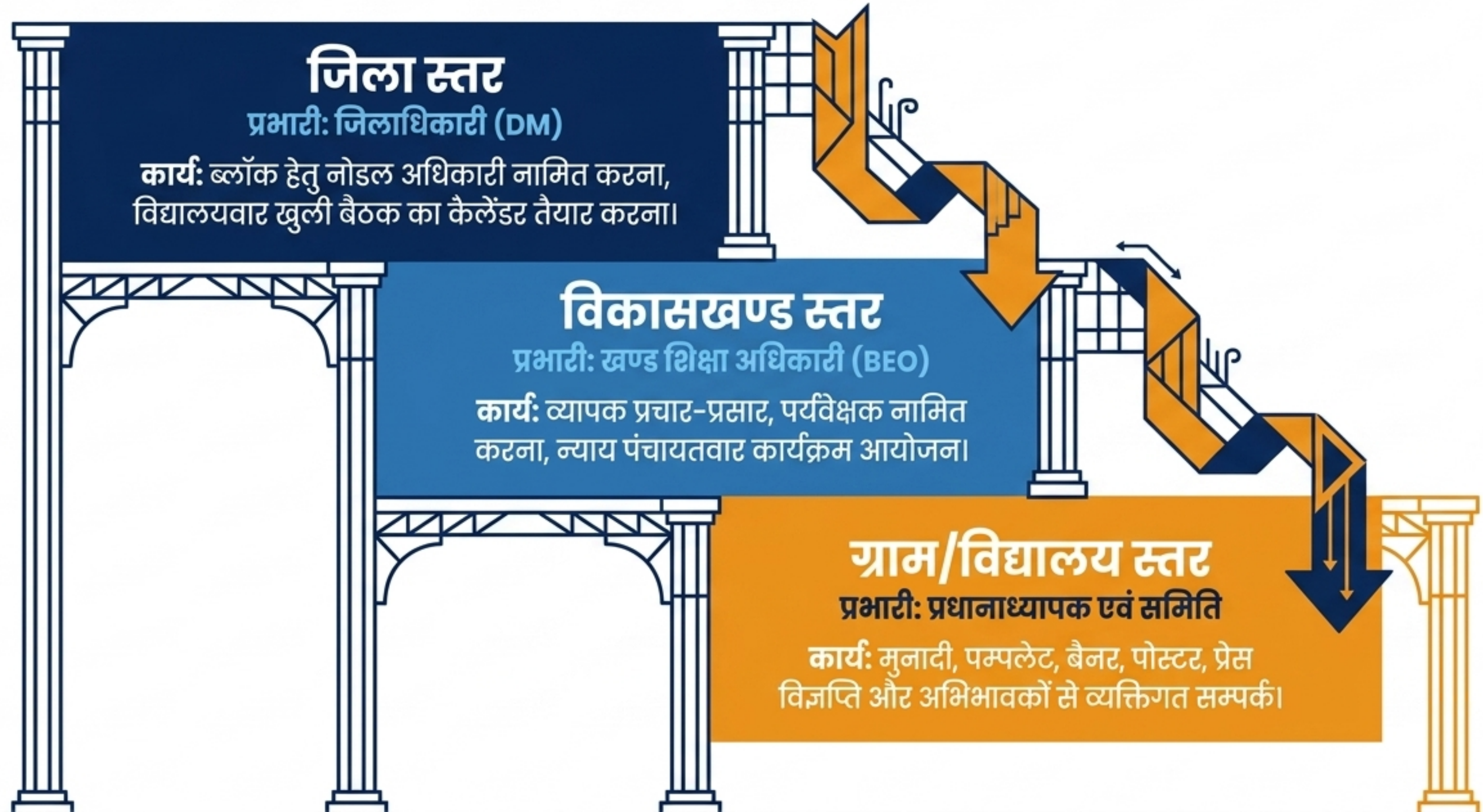
नेतृत्व

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 11 अभिभावकों में से होगा। दोनों में से कम से कम एक पद पर महिला का होना अनिवार्य है।

पुनर्गठन कार्यक्रम: महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं समय-सीमा



त्रि-स्तरीय निष्पादन रणनीति (Execution Strategy)



'खुली बैठक' (Open Meeting): निर्वाचन प्रक्रिया



सदस्यता की समाप्ति एवं रिक्तियों की पूर्ति

सदस्यता समाप्ति के 5 कारण

- ⚠ 1. मृत्यु।
- ⚠ 2. न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि।
- ⚠ 3. स्थायी पलायन।
- ⚠ 4. लगातार 4 बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थिति।
- ⚠ 5. सदस्य के बच्चे का विद्यालय छोड़ देना।



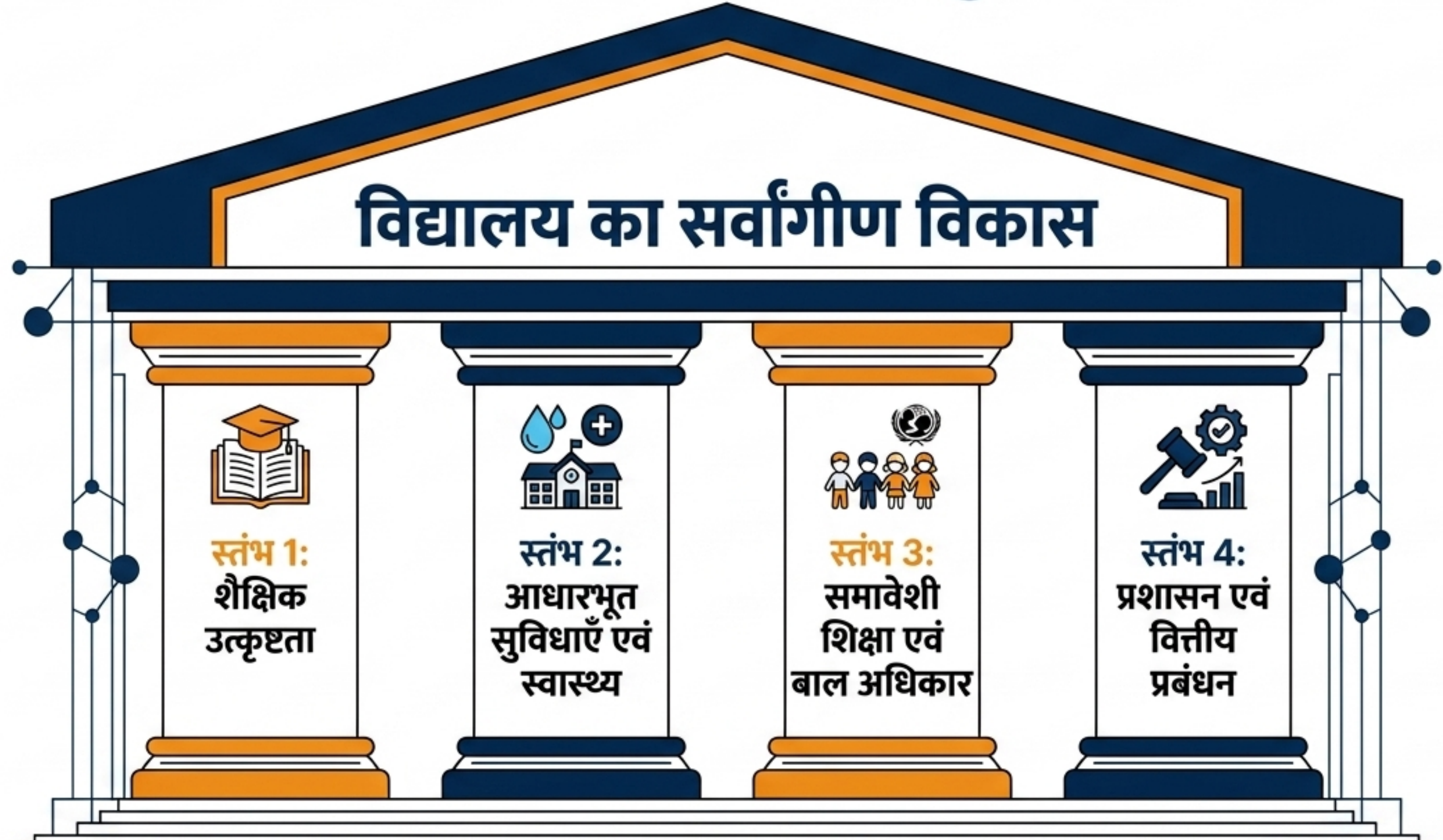
रिक्ति पूर्ति की प्रक्रिया



रिक्ति होने पर 50% कोरम वाली खुली बैठक में नवीन सदस्य का चयन किया जायेगा।

तत्काल कार्यवाही: आवश्यकतानुसार बैंक खाते एवं अभिलेखों में तत्काल संशोधन।

SMC के दायित्व: 4 प्रमुख स्तंभ



दायित्व केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं, बल्कि समग्र विकास पर केंद्रित है।

स्तंभ 1: शैक्षिक उत्कृष्टता एवं निपुण भारत

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण

नियमित कक्षाओं का अनुश्रवण, शिक्षक उपस्थिति (सामुदायिक अनुश्रवण), एवं गतिविधि-आधारित शिक्षण।

NIPUN / FLN

कक्षा 2 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता। अभिभावकों को FLN के प्रति जागरूक करना।

ECCE (बालवाटिका)

3-8 वर्ष के बच्चों हेतु सुरक्षित, पोषणयुक्त एवं खेल-आधारित अधिगम वातावरण।
आंगनबाड़ी से समन्वय।

"विद्यालय केवल नामांकन केन्द्र न होकर वास्तविक अधिगम का केन्द्र बने।"

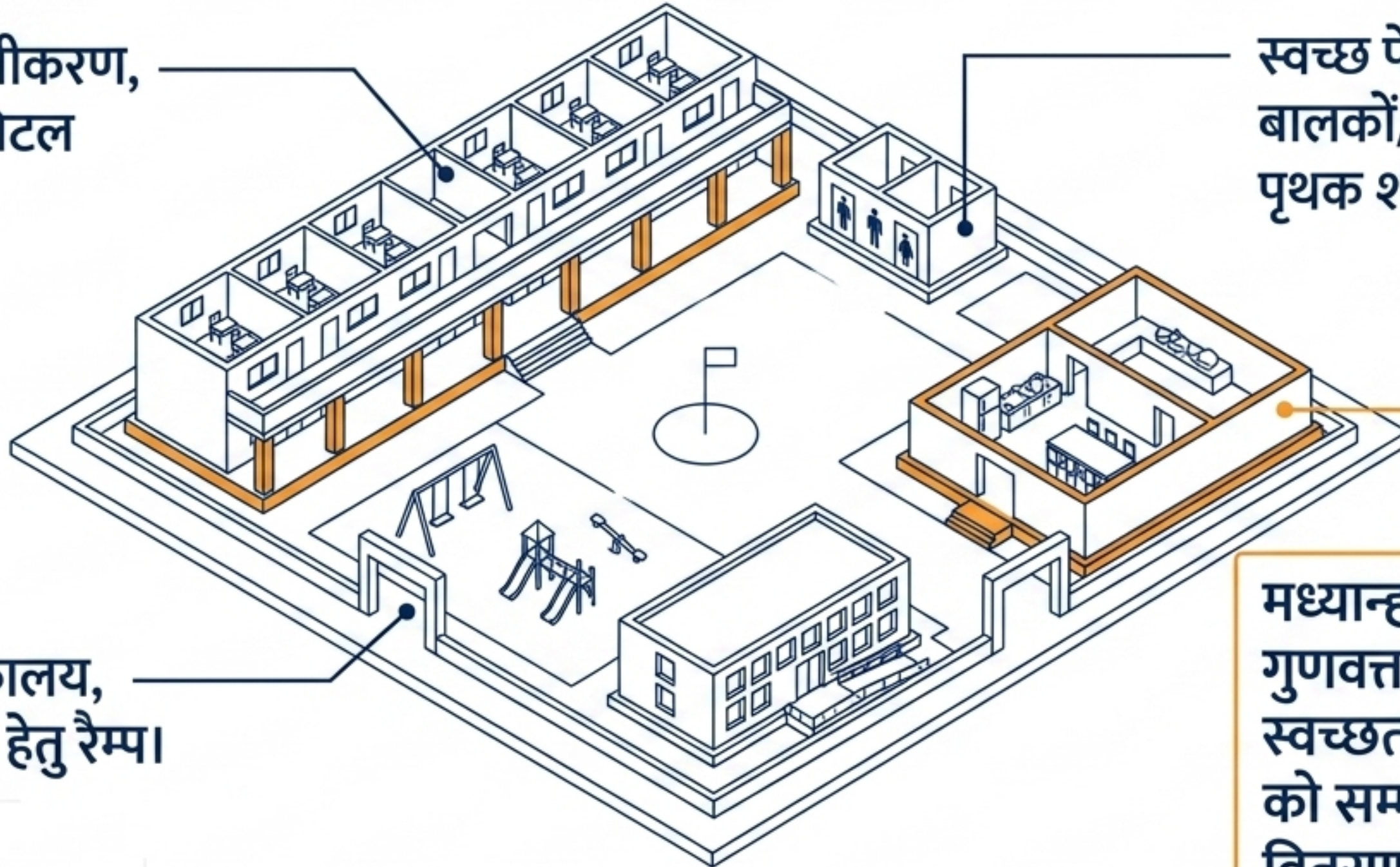
स्तंभ 2: आधारभूत सुविधाएँ एवं मध्यान्ह भोजन (MDM)

भवन सुरक्षा, विद्युतीकरण, फर्नीचर, और डिजिटल सुविधाएँ।

स्वच्छ पेयजल और बालकों/बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय।

खेल मैदान, पुस्तकालय, और दिव्यांग बच्चों हेतु रैम्प।

मध्यान्ह भोजन (MDM): गुणवत्ता, मात्रा, और स्वच्छता की जाँच। बच्चों को सम्मानजनक तरीके से वितरण।



स्तंभ 3: समावेशी शिक्षा एवं बाल संरक्षण

100% नामांकन एवं समावेश



विद्यालय से बाहर (Out-of-school) बच्चों की पहचान।
विशेष ध्यान: बालिकाएँ, दिव्यांग (CWSN), प्रवासी परिवार, SC/ST, अल्पसंख्यक, एवं कमजोर वर्ग।

बाल अधिकार संरक्षण



शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance):

- शारीरिक दण्ड न दिया जाये।
- मानसिक एवं लैंगिक उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित।
- शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।

स्तंभ 4: विद्यालय विकास योजना (SDP) एवं डेटा आधारित निर्णय



कार्यकुशलता हेतु उप-समितियों का गठन

उपरोक्त दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु आवश्यकतानुसार उप-समितियाँ गठित की जा सकेंगी।



वित्तीय प्रबंधन, निर्माण कार्य एवं क्षमता संवर्धन



वित्तीय पारदर्शिता

एक संयुक्त बैंक खाता: अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर। सभी व्यय PFMS एवं SNA/SNA SPARSH व्यवस्था के अनुरूप।



निर्माण कार्य व्यवस्था

₹30 लाख तक के निर्माण कार्य 'अवस्थापना सुविधा उपसमिति' द्वारा। यह उपसमिति 4 सदस्यीय होगी (अध्यक्ष, 2 अभिभावक, 1 पदेन सदस्य)। सामग्री क्रय 3 सदस्यों की उपस्थिति में।



अनिवार्य प्रशिक्षण

गठन के 1 माह के भीतर सभी सदस्यों का आमुखीकरण/प्रशिक्षण (NEP, NIPUN, RTE, Finance)।